ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL PENSIONERS (AICPA)
ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

Ref No. AIACE/CENTRAL/2025/54 ***Dated 19th August, 2025***

Press – Release

The members of ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL PENSIONERS (AICPA) & ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE) have decided to stage one day Demonstration on 15-9-2025 from 12 noon to 4 pm at CIL, HQ, Kolkata. This decision was taken in zoom meeting held on 18/8/2025.They are feeling aggrieved as management has failed to resolve their issues. This Gherao is intended to draw attention of authorities towards fulfilment of their demands involving various issues of concern as listed below:

(i) Acceleration in efforts for Resolution of pay conflict of executives with that of wage board employee

(ii) Uniform implementation of CPRMS for both executives and non-executives and Renaming CPRMSE/NE as Contributory Post Retirement Scheme for Employees to cover both executives and non-executives as they had been receiving similar benefits during service life

(iii) Cashless Indoor treatment be ensured at all empanelled hospitals and, if necessary, advance in the name of hospital be handed over to beneficiary availing such treatment.

(iv) The clause for working executives and employees requiring Referral by a company doctor should be deleted and be applicable only if Travelling allowances involved is to be reimbursed.

(v) Enhancing Domiciliary payment to Rs 1 lakh per annum to cope with rising inflation to both executive and Non-executive retirees.

(vi) Reimbursement of Medical claims within 3 weeks of submission, and schedule payments on 15th and 30th of every month.

(vii) To allow treatment at any Hospital/ any Medical Practitioner and have faith on the ethics of practicing doctors who are recognised by Medical Council of India

(viii) Creation of a full-fledged centralized cell at CIL level whose interpretation of issues related to /referred to Medical claim disputes should be binding for all subsidiaries

(ix) Proactive actions to be taken for speedy implementation on suggestions contained in 12" Report of Public Accounts Committee for Restructuring of Coal Mines Pension Scheme (Presented in Parliament on 18th March, 2020) and incorporation of Dearness Relief (DR) component as a part of pension to ensure equitable pension irrespective of retirement date.

P. K. SINGH RATHOR
Convenor, AICPA/AIACE

ALL INDIA COAL PENSIONERS ASSOCIATION (AICPA)
ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

संदर्भ संख्या AIACE/CENTRAL/2025/54 **दिनांक 19 अगस्त, 2025**

प्रेस विज्ञप्ति

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स (AICPA) और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स (AIACE) के सदस्यों ने 15-9-2025 को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक CIL, मुख्यालय, कोलकाता में एक दिवसीय प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 18/8/2025 को आयोजित ज़ूम मीटिंग में लिया गया। वे इस बात से व्यथित हैं कि प्रबंधन उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। इस घेराव का उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध विभिन्न चिंताजनक मुद्दों से जुड़ी अपनी मांगों की पूर्ति हेतु अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है:

(i) अधिकारियों और वेतन बोर्ड कर्मचारियों के वेतन संबंधी विवाद के समाधान हेतु प्रयासों में तेजी लाना।
(ii) अधिकारियों और गैर-अधिकारियों दोनों के लिए सीपीआरएमएस का एक समान कार्यान्वयन और सीपीआरएमएसई/एनई का नाम बदलकर कर्मचारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्तोत्तर योजना करना ताकि अधिकारियों और गैर-अधिकारियों दोनों को कवर किया जा सके क्योंकि वे सेवाकाल के दौरान समान लाभ प्राप्त कर रहे थे।
(iii) सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इनडोर उपचार सुनिश्चित किया जाए और यदि आवश्यक हो, तो ऐसे उपचार का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को अस्पताल के नाम पर अग्रिम राशि दी जाए।
(iv) कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कंपनी के डॉक्टर द्वारा रेफरल की आवश्यकता वाले खंड को हटा दिया जाना चाहिए और केवल तभी लागू होना चाहिए जब यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जानी हो।
(v) बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अधिकारियों और गैर-कार्यकारी दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए घरेलू भुगतान को बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाना चाहिए।
(vi) चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत करने के 3 सप्ताह के भीतर, और प्रत्येक माह की 15 और 30 तारीख को भुगतान निर्धारित करना।
(vii) किसी भी अस्पताल/किसी भी चिकित्सक के यहाँ उपचार की अनुमति देना और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की नैतिकता पर विश्वास रखना।
(viii) कोल इंडिया लिमिटेड स्तर पर एक पूर्ण केंद्रीकृत प्रकोष्ठ का गठन, जिसकी चिकित्सा दावा विवादों से संबंधित/संदर्भित मुद्दों की व्याख्या सभी सहायक कंपनियों के लिए बाध्यकारी हो।
(ix) कोयला खदान पेंशन योजना के पुनर्गठन हेतु लोक लेखा समिति की 12वीं रिपोर्ट (18 मार्च, 2020 को संसद में प्रस्तुत) में निहित सुझावों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कार्रवाई की जाएगी और सेवानिवृत्ति तिथि के बावजूद समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पेंशन के एक भाग के रूप में महंगाई राहत (डीआर) घटक को शामिल किया जाएगा।

पी के सिंह राठोर
संयोजक, एआईसीपीए/एआईएसीई